# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 13/2017 नामान्तरकरण अपील

1. जयेश पुत्र भरतलाल
2. योगेश पुत्र भरतलाल
3. पवन पुत्र भरतलाल

नाबालिगान जरिये माता बृजबाई पत्नि भरतलाल

समस्त जाति मीना निवासी मीना सीमला तहसील सिकराय जिला दौसा

अपीलान्ट्स

बनाम

1. भरतलाल पुत्र रूपचन्द जाति मीना निवासी मीना सीमल तहसील सिकराय जिला दौसा
2. कमलेश पत्नि राजेन्द्र कुमार जाति मीना निवासी मीना पट्टी ठीकरी जाफरान तहसील महुवा जिला दौसा।
3. सन्तरा पत्नि भगवानसहाय जाति मीना निवासी मीना पट्टी ठीकरी जाफरान तहसील महुवा जिला दौसा।
4. धर्मा पत्नि जयराम जाति मीना निवासी सहदपुर रामगढ तहसील महुवा जिला दौसा।
5. अमरी पत्नि बत्तीलाल जाति मीना निवासी हरिनारायण का बास दांतली तहसील टोडाभीम जिला करोली राज.।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सिकराय जिला दौसा।
7. उप पंजीयक, तहसील सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय योग्य अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय निर्णय दिनांक 27.12.10 बाबत नामान्तरकरण सं. 519 वाकै ग्राम मीना सीमला तह. सिकराय जिला दौसा

उपस्थिति :– 1. श्री चन्द्रमोहन जोशी अधिवक्ता अपीलांट उपस्थित।
2. श्री निर्मल कुमार शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 01 उपस्थित।
3. श्री बृजमोहन गौड अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 2 लगा0 5 उपस्थित।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

–:निर्णय:–

दिनांकः 13.07.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि भूमि ख.न. 9 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा, ख.न. 18 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम मीना सीमला तहसील सिकराय जिला दौसा में स्थित है। इस भूमि के वर्तमान ख.न. 18/1, 301/18, 302/18, 303/18, 9/1, 18/2 है, यह ख.न. 9 एवं 18 के उप नम्बर है जो कि ख.न. 18 व 9 का बटवारा करके डाले गये है। सजरा खानदान के अनुसार खातेदार रूपचन्द (फौत) के दो लडके हुए एक भरतलाल व दूसरे का शिवराम। भरतलाल के तीन लडके हुए जो क्रमश अपीलान्ट्स नं. 1 लगा0 3 है। उपरोक्त ख.न. की समस्त भूमि पैतृक भूमि है जो कि अपीलान्ट्स के बाबा रूपचन्द से आई हुई भूमि है।

अति0 जिला कलक्टर

रेस्पोडेन्ट नं. 2 लगा0 5 को रेस्पोडेन्ट नं. 1 द्वारा जरिये विक्रय पत्र भूमि का बेचान कर दिया गया है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पोडेन्ट नं. 2 लगा0 5 के नाम से नामान्तरकरण सं. 519 ग्राम मीना सीमला दिनांक 22.12.2010 स्वीकृत भी हो गया। उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील अपीलान्ट्स पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गयी। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा अपील के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स के हितो पर कुठाराघात करते हुए उक्त नामान्तरकरण की कार्यवाही की गई है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 जिसका नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट नं. 1, अपीलान्ट नं. 1 लगा0 3 का रिश्ते में पिता लगता है। परन्तु पिता लगने के बावजूद भी रेस्पोडेन्ट नं. 1 अपनी जिम्मेदारियों का वहन नही करते हुए अपने नाम चली आ रही प्रश्नगत पैतृक भूमि का अन्य व्यक्तियों को बेचान करने का अधिकार नही होने के बावजूद भी जरिये विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट नं. 2 लगा0 5 को भूमि का बेचान कर दिया गया है। पैतृक भूमि का बटवारा भी नही हुआ है। नामान्तरकरण की कार्यवाही में अपीलान्ट्स को नोटिस नही दिया गया हैं। चोरी छिपे भूमि का बेचान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण सं. 519 तहसीलदार सिकराय द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है। अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु.न. 129/09 उनवानी भरतलाल बनाम रामलाल में स्थगन आदेश की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया गया की प्रश्नगत नामान्तरकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय के स्थगन आदेश प्रभावी रहने के दौरान तहसीलदार सिकराय द्वारा स्वीकृत किया गया है। प्रश्नगत नामान्तरकरण की जानकारी अपीलान्ट्स को पटवारी हल्का मीना सीमला द्वारा दिनांक 27.05.2017 को मिलने पर नकल ली जाकर दिनांक 29.05.2017 को अपील पेश की गई हैं। अपीलान्ट्स को कानून की जानकारी नही होने एवं कानूनी सलाह मश्वरा करने के बाद अपील पेश की गई है। इस प्रकार अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की गई हैं। फिर भी अपील पेशगी मे हुई देरी के लिए प्रार्थना पत्र दफा–5 कानून मियाद का अपील के साथ पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र दफा–5 स्वीकार फरमाते हुए अपील स्वीकार फरमाई जावे।

जवाब बहस के दौरान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 1 द्वारा निवेदन किया गया की अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नही है। अपील स्वीकार फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 2 लगा0 5 द्वारा निवेदन किया गया की प्रश्नगत नामान्तरकरण सं. 519 दिनांक 27.12.2010 से सम्बन्धित भूमि मु. भौरी बेवा रूपचन्द एवं भरतलाल पुत्र रूपचन्द की खातेदारी की भूमि थी। उक्त खातेदार द्वारा प्रश्नगत भूमि का बेचान रेस्पोडेन्ट नं. 2 लगा0 5 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र कर दिया गया। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण सं. 519 दिनांक 27.12.2010 तहसीलदार सिकराय द्वारा स्वीकृत किया गया है। उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध 6 वर्ष 5 माह पश्चात असाधारण विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट्स द्वारा अपील समयातीत प्रस्तुत करने का कारण कानून की जानकारी नही होना व्यक्त किया गया है जो माने जाने योग्य नही है। क्योकि कानून के सम्बन्ध में अवधारण है कि इसके लागू होते ही प्रत्येक को जानकारी हो जाती है। कानून की अविज्ञता क्षम्य किये जाने योग्य

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नही है। अतः अपील समयातीत होने के कारण खण्डनीय है। अपीलान्ट्स प्रश्नगत भूमि का पैतृक भूमि बताकर विक्रय में अपना हक बताते है। नामान्तरकरण से अधिकारो का विनिश्चय नही होता है। अपीलान्ट्स को अपने पिता व दादी द्वारा किये गये विक्रय को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त करवाना चाहिए था। नामान्तरकरण अपील समयातीत होने व अपीलान्ट्स के अधिकारो का विनिश्चय करने का माध्यम नही हो सकता। अतः अपील खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 2 लगा0 5 की ओर से निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये है–

1. **RRD 1993 Page No 505**
2. **RRD 1991 Page No 321**
3. **RBJ (8) 2001 Page No 526**

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो का ससम्मान अवलोकन किया गया। तत्पश्चात यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र होने पर उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर प्रश्नगत नामान्तरकरण सं. 519 दिनांक 27.12.2010 ग्राम मीना सीमला तहसीलदार सिकराय द्वारा स्वीकृत किया गया है। अपीलान्ट्स द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त कराये जाने के पश्चात ही अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

( राजवीर सिंह चौधरी )
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 13.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

( राजवीर सिंह चौधरी )
अति0 जिला कलक्टर, दौसा